

डिगरी एवं मुकदमें इब्बाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्बा दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया  
बईजलास - रामरख भीना (आर.ए.एस.)



1. सुखदेवसिंह 2. नक्षत्रसिंह पि. हरनामसिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-वादीगण

1. जसविन्द्रकौर पत्नी सुखदेवसिंह 2. दलजीतसिंह पुत्र सुखदेवसिंह 3. गुरमीतसिंह पुत्र सुखदेवसिंह 4. जगपालसिंह पुत्र सुखदेवसिंह 5. कर्मजीत कौर पुत्री सुखदेवसिंह 6. जसप्रीतकौर पुत्री सुखदेवसिंह 7. सर्वजीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह 8. दलजीतसिंह पुत्र बाबूसिंह 9. गुरदीपसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह 10. छिन्द्रकौर पुत्री जोगेन्द्रसिंह 11. तोतासिंह पुत्र बिशनसिंह 12. दर्शनसिंह पुत्र बिशनसिंह 13. गुरदतसिंह पुत्र करनैलसिंह 14. केवलसिंह पुत्र करनैलसिंह 15. कर्मसिंह पुत्र करनैलसिंह 16. जसवीरकौर बेवा सुखदेवसिंह 17. बलविन्द्रसिंह पुत्र सुखदेवसिंह 18. बलजीतसिंह पुत्र सुखदेवसिंह 19. एस.बी.आई. बैंक शाखा संगरिया 20. तहसीलदार राजस्व संगरिया

-प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए.


राजस्व वाद संख्या:-42/2015

निर्णय दिनांक- 12.7.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी एडवोकेट मिन जामिन मुदई श्री भीमसिंह छिम्पा व श्री संजय आर्य मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही होने से वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 7 व 13 ता 15 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाता है। निम्न अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को चक 1 ए.एम.पी. (बी.) के खाता सं. 88/82, व चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 80/34 व खाता सं. 140/34 में कृषि भुमि प्राप्त हुई व राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार खाता अलग कायम कर रकमराज आबयाना अलग कायम की जावे:-

वादी सं. 1 सुखदेवसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत आराजी:-

चक 4 ए.एम.पी. पं. नं. 169/139 मु. नं. 2 किला नं. 2/0.202, 9/.253, 12/.253, 18/.253, 19/.253, 5/.228, 6/0.126 66/0.039 गै.मु. खाला 1.354 है. नहरी





प्रतिवादी सं. 2 नक्षत्रसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त आराजी:-

चक 4 ए.एम.पी. पं. नं. 169/139 मु. नं. 2 किला नं. 4/.228, 6/.127, 7,14,17,24/.253प्र, 66/0.  
025गै.मु. खाला 1.392 है. नहरी

प्रतिवादी सं. 7 सर्वजीत सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त आराजी:-

चक 1 ए.एम.पी.(बी.) पं. नं. 169/138 मु. नं. 60 किला नं. 17/.253, 24/.215, (.038गै.मु.) 0.506 है.

प्रतिवादी सं. 13 ता 15 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त आराजी:-

चक 4 ए.एम.पी. पं. नं. 169/139 मु. नं. 2 किला नं. 10/.126, 20/4/0.011, कुल 0.137 नहरी

यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो ऋण चुकता प्रमाण पत्र पेश करने पर ही अमल दरामद किया जावे।  
पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।

निज  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना  
आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक  को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.7.17 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

नोट:- संशुद्ध आदेश दि. 13.9.2017

T. O. & Sangria के पत्र क्रमांक L.R/17/1788 दिनांक  
11.9.2017 के क्रम में प्रतिवादी सं. 7 सर्वजीत सिंह के हक  
हिस्सा आराजी के चक 1 AMP (B) मु. नं. 60 किला नं. 17/0.  
24/0.215 नहरी के कु. मु. 0.038 कुल 0.253 है आराजी  
काश्त की जाती है उक्त रकबा को संशुद्ध आदेश के अंतर्गत  
किया जावे। (शुद्ध दि. क्र.) आदेश अमानत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया